

प्रमुख वन संरक्षक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक-1017/23 कोर्ट केस, दिनांक-
11.11.2011 के अनुसार वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने से
सम्बन्धित प्रमाण पत्र

जनपद इटावा के अन्तर्गत इटावा-ग्वालियर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-92 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-719) के किमी०-70.500 से 74.700 तक के भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में 6.930 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव में प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त कोई अन्य चिन्हित वन स्वरूप क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।

स्थान- इटावा

दिनांक- 14-07-2022

(शिव प्रसाद)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
बड़पुरा (इटावा)

(संजय सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा